73

संख्या– ✓ /XVIII-(2)/16-3(8)/2008 TC-1

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 03 ~~फरवरी~~ मार्च, 2016

विषयः– **आपदा प्रबन्धन के विशेष परिप्रेक्ष्य में ग्राम स्तर पर आयोजित किये जाने वाली आपदा प्रबन्धन विषयक प्रशिक्षणों एवं जनजागरूकता हेतु बजट व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–20 की अवधि हेतु निर्धारित राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF) की नवीन गाइड लाईन्स में एस.डी.आर.एफ. मद में वार्षिक आवंटन के 5% धनराशि को क्षमता विकास कार्यो हेतु उपयोग किये जाने के प्राविधान के तहत भारत सरकार के पत्र संख्या–32-7/2014-NDM, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ₹ 210.00 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष क्षमता विकास हेतु 5% की दर से ₹ 10.50 करोड़ में से आपदा प्रबन्धन के विशेष परिप्रेक्ष्य में ग्राम स्तर पर आयोजित की जाने वाली आपदा प्रबन्धन विषयक प्रशिक्षणों हेतु ₹ 4.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल ₹ 52.00 लाख (₹ बावन लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरित कर व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2– स्वीकृत धनराशि का लेखा–जोखा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा रखा जायेगा।

3– धनराशि का स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में अथवा गलत उपयोग होने पर जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

4– व्यय करते समय प्रोक्योरमेंट रूल्स, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानें एवं मितव्ययता विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5– धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता पर सम्यक विचार कर लिया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7– उक्त पर होने वाला कुल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05–राज्य

(2)

आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अ.शा.संख्या– 259 NP/XXVII(5)/2015–16, दिनांक 29 फरवरी, 2016 में दी गई सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-536 (1)/XVIII-(2)/16-3(8)/2008 TC-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून को इस कथन के साथ प्रेषित है कि उक्तानुसार आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु समन्वय स्थापित करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5
11– गार्ड फाइल।

1-3-2016

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव